भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-77
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत नये स्कूलों का निर्माण

†77. **श्री केसिनेनी शिवनाथ:**
श्री बी. के. पार्थसारथी:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के अंतर्गत नए स्कूलों/स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं/विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं/शौचालयों और पेयजल सुविधाओं का निर्माण/स्थापना प्रस्तावित है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार प्रस्तावित नए स्कूलों/स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं/विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं/शौचालयों और पेयजल सुविधाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे स्कूलों/प्रयोगशालाओं और कक्षाओं के निर्माण पर संपरीक्षा और उपयोग रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत की गई हैं;
(घ) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान एडब्ल्यूपी एंड बी के अंतर्गत पूर्ण किए गए स्कूलों/प्रयोगशालाओं/अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या का वर्ष/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस घटक के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें

समुचित सरकार हैं और नए स्कूलों के अतिरिक्त नए कक्षाकक्षों/विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं/शौचालयों एवं पेयजल की सुविधाओं का निर्माण/स्थापना सहित स्कूलों में अवसंरचना उपलब्ध करवाना उनका उत्तरदायित्व है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा योजना क्रियान्वित कर रहा है, यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों में छात्रों के लिए नए स्कूल/अतिरिक्त कक्षाकक्षों/विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं/शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं का निर्माण/स्थापना सहित अवसंरचना सृजन में मदद करती है। इस संबंध में, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं एवं प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद पीएबी इन योजनाओं को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजट संबंधी संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूल्यांकन/अनुमोदित करता है। इस योजना के तहत, समग्र शिक्षा के अलग-अलग मध्यवर्तनों को लागू करने के लिए, राज्यों को घटक-वार के बजाय एकमुश्त निधियाँ जारी की जाती हैं। राज्यों से प्राप्त रिलीज के प्रस्ताव और अन्य संगत दस्तावेजों के आधार पर राज्यों को चार किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। निर्धारित मानदंडों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में जारी अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान चौथी किस्त जारी की जाती है।

नए स्कूलों/अतिरिक्त कक्षाओं/विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं/शौचालयों और पेयजल सुविधाओं के निर्माण/स्थापना से संबंधित पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए वास्तविक एवं वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **आंध्र प्रदेश** में जिला-वार आंकड़ों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में है।

*****

अनुलग्नक-I

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत नए स्कूलों का निर्माण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री बीके पार्थसारथी, श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के तहत अर्थात पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26 में) स्वीकृत और पूर्ण किए गए कक्षाओं, भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

नया स्कूल/उन्नयन/अतिरिक्त कक्षा/विज्ञान/गणित प्रयोगशाला/पेयजल/शौचालय आदि के वास्तविक बुनियादी ढांचे की स्थिति			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वास्तविक स्वीकृतियाँ**	**वित्तीय स्वीकृतियां (लाख रुपये में)**	**कार्य पूरा किया**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	440.90	2
आंध्र प्रदेश	2677	14200.38	1573
अरुणाचल प्रदेश	1115	9896.96	448
असम	11007	117309.56	7364
बिहार	52254	215499.74	21825
छत्तीसगढ़	4272	22222.80	198
दादरा और नगर हवेली	8	10.88	7
दिल्ली	115	936.63	-
गोवा	7	6.40	5
गुजरात	2509	28328.29	806
हरियाणा	3262	31223.94	585
हिमाचल प्रदेश	3490	8305.66	121
जम्मू और कश्मीर	7614	54428.09	151
झारखंड	3565	17089.14	1735
कर्नाटक	1136	14036.46	206
केरल	2220	4643.75	870
लद्दाख	635	3173.04	229
मध्य प्रदेश	4199	40169.44	424
महाराष्ट्र	7007	39193.21	345
मणिपुर	2746	28821.85	345
मेघालय	1919	11877.75	888
मिजोरम	1089	9970.41	356
नागालैंड	254	4789.56	-
ओडिशा	13116	130229.11	852
पुडुचेरी	11	132.53	-
पंजाब	8443	35939.20	5517
राजस्थान	6394	78505.75	3394
सिक्किम	541	2283.31	263
तमिलनाडु	2291	11450.70	1943
तेलंगाना	1422	12573.31	1258
त्रिपुरा	1560	19213.06	301
उत्तर प्रदेश	22464	129396.88	12227
उत्तराखंड	1844	14602.46	677
पश्चिम बंगाल	12265	107973.84	5887
कुल	**183462**	**1218874.96**	**70802**

स्रोत : प्रबंध

अनुलग्नक-II

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत नए स्कूलों का निर्माण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री बीके पार्थसारथी, श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत पिछले पांच वर्षों अर्थात (2021-22 से 2025-26) स्वीकृत और पूरे किए गए कक्षाओं, भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों का जिलावार ब्यौरा

नया स्कूल/उन्नयन/अतिरिक्त कक्षा/विज्ञान/गणित प्रयोगशाला/पेयजल/शौचालय की वास्तविक बुनियादी ढांचे की स्थिति		
जिले का नाम	**वास्तविक स्वीकृत**	**कार्य पूरा किया गया**
चित्तूर	135	100
ईस्ट गोदावरी	178	111
कृष्णा	93	55
कुरनूल	254	183
अनंतपुर	423	343
अनकपल्ली	17	-
एलुरु	17	-
गुंटूर	134	99
कडप्पा	169	97
काकीनाडा	16	-
कोनासीमा	14	-
अन्नामय्या	23	-
असर	22	-
विशाखापत्तनम	233	141
बापटला	13	-
मान्यम	16	-
नंदयाल	30	-
नेल्लोर	183	94
एनटीआर	13	-
पलनाडू	22	-
प्रकाशम	196	111
श्री सत्यसाईं	29	-
श्रीकाकुलम	180	85
तिरुपति	26	-
विज़ियानगरम	177	115
वेस्ट गोदावरी	64	39
कुल	**2677**	**1573**

स्रोत : प्रबंध

*****